रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 59] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 1999/माघ 14, 1920
No. 59] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 1999/MAGHA 14, 1920

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1999

का.आ. 71 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन गठित सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निदेश देती है कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में—

(क) अनुसूची III में "लघु उद्योग क्षेत्र में अनन्य रूप से निर्मित किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची" शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित मदें और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :—

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार क्रम सं.	उत्पाद कोड	उत्पाद का नाम
1	2	3
"82	290201	तलों का चमड़ा
83	290202	कटाई और बुनकर चमड़ा
84	290302	पिकिंग बेंड लैदर
438	343506	सब्बल

1	2	3
446	343515	लेबलर
447	343516	घास काटने का यंत्र
505	350107	5 अ. श. की मोटिव शक्ति वाले कटाई यंत्र (रीपर)
507	350109	5 अ. श. की मोटिव शक्ति वाली बीज ड्रिल
508	350110	5 अ. श. की मोटिव शक्ति वाली अन्य कृषि संबंधी मशीनें''

(ख) क्रम संख्या 140 न के सामने :—

(i) स्तंभ 3 के अधीन ''303842'' प्रविष्टि के स्थान पर ''303842009'' प्रविष्टि रखी जाएगी,

(ii) स्तंभ 4 के अधीन ''20 खिलौने'' प्रविष्टि के स्थान पर ''20 खिलौने जिसमें इलैक्ट्रोनिक खिलौने सम्मिलित नहीं हैं'' प्रविष्टि रखी जाएगी, और

(ग) क्रम सं. 145 के सामने :—

(i) स्तंभ 3 के अधीन ''30390404'' प्रविष्टि के स्थान पर ''303904047'' प्रविष्टि रखी जाएगी,

(ii) स्तंभ 4 के अधीन ''4. प्लास्टिक खिलौने'' प्रविष्टि के स्थान पर ''4. प्लास्टिक खिलौने जिसमें इलैक्ट्रोनिक खिलौने सम्मिलित नहीं हैं'' प्रविष्टि रखी जाएगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 7(3)/99-आई. पी.]
अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना का. आ. सं. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा जारी की गई थी और तत्पश्चात् का. आ. सं. 298(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1997 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1999

S.O. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and after considering the recommendations made by the Advisory Committee constituted under sub-section (2B) of the said section, the Central Government hereby direct that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991, namely :—

In the said notification,—

(a) In Schedule-III under the heading—LIST OF ITEMS RESERVED FOR EXCLUSIVE MANUFACTURE IN THE SMALL SCALE SECTOR. The following items and entries related thereto shall be omitted, namely :—

Sl. No. (As per Gazette Notification)	Product Code	Name of the Product
1	2	3
"82	290201	Sole Leather
83	290202	Kattai and bunwar leather

1	2	3
84	290302	Picking band leather
438	343506	Crow bars
446	343515	Levellers
447	343516	Mowers
505	350107	Reapers—Upto 5 HP motive power
507	350109	Seed drills—Upto 5 HP motive power.
508	350110	Other Agricultural Machinery—Upto 5 HP motive power";

(b) against Sl. No. 140 T,—

(i) under column 3, for the entry "303842", the entry "303842009" shall be substituted;

(ii) under column 4, for the entry "20. Toys", the entry "20. Toys excluding electronic toys" shall be substituted; and

(c) against Sl. No. 145,—

(i) under column 3, for the entry "30390404", the entry "303904047" shall be substituted;

(ii) under column 4, for the entry "4. Plastic toys", the entry "4. Plastic toys excluding electronic toys" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 7(3)/99-IP]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was issued vide number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991 and subsequently amended vide Number S.O. 298(E) dated the 3rd April, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054